न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2014 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. श्री देवचन्द पिता श्री कानजी भील निवासी आमलीओटा देवदा पटवार हल्का देवदा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कालिया पिता दलीया भील निवासी आमलीओटा देवदा पटवार हल्का देवदा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री राजीया पिता दजीया भील निवासी आमलीओटा देवदा पटवार हल्का देवदा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती मीर पत्नी श्री जोरिया भील निवासी आमलीओटा देवदा पटवार हल्का देवदा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्रीमान तहसीलदार घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 18 राजस्थान उपनिवेशन
माही परियोजना सरकार भूमि आवंटन एवं विक्रय
नियम 1984 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
घाटोल दि0 7–4–2014 प्रकरण संख्या 15/2013

———/———

उपस्थित :–1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4

————————————

निर्णय **दिनांक 22–03–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धार/नियम–17

राजस्थान माही उपनिवेशन नियम 1084 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवदा की आराजी नंबर 779 रकबा .2 हैक्टर भूमि पर वह 40 वर्षो से काबिज है, परन्तु उक्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने मिली–भगत कर दिनांक 25/29–11–2001 को आवंटन करा भूमि अपने नाम आवंटन करवा ली। भूमि की अधिसूचना जारी नहीं हुई, आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई, प्रार्थी को वर्ष 2013 में जानकारी हुई तो पता पड़ा की आवंटी को खातेदारी मिलकर भूमि का विक्रय भी किया जा चुका है। आवंटन कपट–पूर्वक किया गया है तथा विक्रय भी अवैद्य है। कब्जा प्रार्थी का है। उपरोक्त आवेदन के क्रम में अप्रार्थीगण की और से आवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय का क्षैत्राधिकार नहीं है। अतएव आवेदन खारिज किया जाय।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 7–4–2014 से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–6–2014 को दफा–5 जाब्ता मयाद के आवेदन व शपथ पत्र के साथ पेश की। अखण्डित शपथ पत्र न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 की और से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेट संख्या–4 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार के रूप में राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया तथा नियम–17 का भी विधिवत विवेचन नहीं किया तथा आपत्तियों पर भी विवेचन नहीं किया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि धारा/नियम–17 के तहत आवंटन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी को आवंटन फॉड व मिस–रिप्रजेन्टेशन के आधार पर ही खारिज किये जाने के अधिकार है। प्रस्तुत प्रकरण में फ्रॉड व मिस–रिप्रजेन्टेशन से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने अपना क्षैत्राधिकार नहीं मानने में कोई त्रुटि नहीं की है।

प्रकरण में जहां तक अधिसूचना जारी नहीं किये जाने का अथवा आवंटन शर्तो की उल्लंघना होने के भी तथ्य उपलब्ध नहीं है। आवंटन वर्ष 2001 में होकर खातेदारी मिलने के बाद भूमि का विक्रय होने के बाद आवंटन के 12 वर्षो बाद अतिक्रमी जिसका कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होता तथा उनके द्वारा उक्त भूमि आवंटन की पात्रता रखने एवं आवेदन प्रस्तुत किये जाने की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन सारहीन पाया जाता है। उपरोक्त समग्र विवेचन से अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7–4–2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर